दिव्यांगों के सामाजिक क्षेत्र में सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों की भूमिकाओं का तुलनात्मक अध्ययन

डॉ0 जय शंकर प्रसाद पाण्डेय
एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग
बी0एस0एन0वी0 पी0जी0 कालेज, लखनऊ
सन्दीप पाण्डेय
शोध छात्र, समाजशास्त्र विभाग
डी0ए0वी0 पी0जी0 कालेज, कानपुर

शोध–सार

दिव्यांगता एक मानवाधिकार का विषय है तथा एक सामाजिक और विकासात्मक मुद्दा भी है। जो एक समावेशी दुनिया का निर्माण और उसे बढ़ावा देना चाहता है। जिसमें सभी दिव्यांग व्यक्ति अपने मानव अधिकारों का आनंद लेते हैं और अपनी पूरी क्षमता प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के कार्यों में समस्याओं की प्रारंभिक पहचान और उसमें हस्तक्षेप करना प्रथम ध्येय होता है, जो समाज में समावेशन की बाधाओं को निर्धारित करते हैं। यही बाधाएँ दिव्यांग व्यक्तियों की सामाजिक भागीदारी, सेवाओं और अवसरों तक पहुँचने से उन्हें रोकते हैं। साथ ही, उन्हें उनकी पूर्ण क्षमताओं के विकास और उनके मूल अधिकारों का उपयोग करने से भी रोकते हैं। इसका तात्पर्य है कि दिव्यांगों को समावेशी शिक्षा, समुदाय की लामबंदी, बढ़ी हुई भागीदारी, चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक कारकों, सामाजिक और आर्थिक हस्तक्षेप के माध्यम से उन्हें अपनी क्षमताओं को विकसित करने के अवसर प्रदान कराना है।

मुख्य शब्द : *गैर सरकारी संगठन, सामाजिक, सरकारी संगठन।*

प्रस्तावना

दिव्यांग व्यक्तियों में भी सामान्य इच्छाएं होती हैं। ये भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सम्मानजनक सामाजिक जीवन की अभिलाषा रखते हैं। जबकि दिव्यांगता उन्हें सामाजिक अलगाव का अनुभव कराती है। व्यक्तिगत अथवा सामाजिक अन्तःक्रियाओं की कमी इनके लिए सबसे बड़ी रूकावट है। ऐसे कारक जिनमें वस्तु, व्यक्ति तथा घटनाएँ शामिल होती हैं, सकारात्मक अथवा नकारात्मक अन्तःक्रियाओं को उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार परस्पर विरोधी भावनाओं के संघर्ष से बचने के लिए विरोधी संज्ञानात्मकताओं के कारण इनके प्रति देखने और सोचने का नजरिया अस्पष्ट रहता है। व्यक्ति कर्तव्य दिव्यांग व्यक्तियों के साथ अन्तःक्रिया करने तथा उनकी मद्द करने अथवा न करने के लिए प्रेरित करता है।

दिव्यांगों के विकास और सशक्तिकरण पर समाजिक स्थितियों और उनके लिए किये गये सार्वजनिक व्ययों का सर्वाधिक महत्व होता है। सामाजिक क्षेत्र पर सार्वजनिक व्यय और विशेष रूप से जनसंख्या के कमजोर वर्गों के कल्याण और सशक्तीकरण का मानव विकास पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इस सम्बन्ध में सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन अपनी अलग–अलग भूमिकाओं द्वारा दिव्यांगता के क्षेत्र में अग्रणी हो सकते हैं। समाज के कमजोर वर्ग के लिए लोक कल्याण के कार्यों को करना और उन तक समुचित पहुँच सुनिश्चित कराना सरकार एवं समाज के प्रत्येक वयक्ति का कर्तव्य और आवश्यकता भी है। दिव्यांगता के कारण व्यक्ति का सामाजिक और पारिवारिक समूहों में सीमित सम्पर्क होता है जिस कारण उनकी अपर्याप्त सामाजिक अन्तःक्रियाएँ

होती हैं। इन्हें अपने मित्रों, पड़ोसियों और नातेदारों की तुलना में परिवार के सदस्यों की ज्यादा जरूरत होती है। इन्हें न केवल अपनी दिव्यांगता के साथ जूझना पड़ता है, बल्कि सामाजिक बाधाओं का भी सामना करना पड़ता है। प्रारम्भिक स्तर पर सामान्य व्यक्ति दिव्यांगों के साथ सामान्य सम्पर्कों, अन्तःक्रियाओं से बचने का प्रयास करते हैं। जो एक प्रकार की सामाजिक बाधा ही है (सिंडर एण्ड क्लेक, 1979)। इसी क्रम में गॉफमैन (1963) और अन्य समाजशास्त्रीय चिन्तको का मानना है कि साधारण सामाजिक सम्बन्धों के निर्माण में विकलांगता एक बाधक है जिससे एक सामाजिक उपेक्षा का निर्माण होता है।

सुसमैन (1994) दिव्यांगों के प्रति सामाजिक भेदों और विचलनों को परस्पर मिश्रित नकारात्मक सामाजिक अन्तःक्रियाओं के रूप में देखते हैं। यह तथ्य भी देते है कि समाज में दिव्यांगों की छवियों को विघटित रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। दिव्यांगता के प्रति सामान्य प्रतिक्रिया हमारे सामाजिक–सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर करती है। जो व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे व्यवहार कहीं न कहीं निम्न मानसिकता से प्रेरित होते हैं। जो सामान्य और दिव्यांग दोनों ही व्यक्तियों को असमान और असहज स्थितियों में ले आते हैं। कार्यस्थल सामाजिक सम्पर्क का प्रमुख केन्द्र होते हैं। अनेक अध्ययनों से यह तथ्य भी पता चलता है कि दिव्यांगता अनेक सामाजिक कार्यों में असुविधा उत्पन्न करती है, सकलांगों और दिव्यांगों के मध्य सम्पर्क में बाधक बनती है। फिर भी, समाज में असहज और हीन भावना को नियंत्रित एवं अलग किया जाना चाहिए।

भारत में विभिन्न प्रकार के दिव्यांगों के लिए किये गये प्रयासों की व्यवस्था को नीतिगत बदलावों के साथ चिन्हित किया जाता रहा है और उन्हें विकास प्रक्रिया के साथ–साथ राष्ट्रीय जीवन की मुख्यधारा में प्रभावी रूप से भाग लेने के लिए सशक्त बनाने की दिशा में कार्य किया जाता रहा है। अर्थात एक साथ चलते हुए आपसी एकता को मजबूत बनाये रखना है। विभिन्न संगठन अथवा एजेंसियाँ दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए समान रूप से जागरूक हैं। स्वीकृत एवं वांछित लक्ष्यों को प्राप्त कराने में ये संगठन मूल्य–निर्णय भावों को समाहित रखते हैं। जिससे सामाजिक परिवर्तन एक निर्धारित दिशा में होती है। दिव्यांगों के सुखी जीवन में वृद्धि इनकी प्रगति की एक कसौटी है।

शोध पद्धति

प्रस्तुत अध्ययन में गणनात्मक और गुणात्मक दोनो विधियों का प्रयोग किया गया है। अध्ययन में अन्वेषणात्मक सह वर्णनात्मक शोध प्ररचना का समावेश है जोकि उत्तर प्रदेश के लखनऊ जनपद के विशेष संदर्भ में है। अध्ययन हेतु लखनऊ जनपद के विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों के लाभार्थियों का चयन किया गया है। जनपद में संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों के लाभार्थियों का सर्वेक्षण किया गया है जिसके तथ्यों के संकलन हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के स्त्रोतों का प्रयोग किया गया है।

अध्ययन

भारतीय समाज में गरीबों और असहायों के लिए प्रेम, करूणा तथा सहानुभूति की भावना विशेषतः अन्तःनिहित रही है। परिवार में वरिष्ठों और वृद्धों के लिए विशेष सम्मान की भावना पायी जाती है। वहीं, यदि कोई व्यक्ति किसी बीमारी अथवा दुर्घटना अथवा जन्मजात दिव्यांग हो जाता है तो उसके लिए समाज अथवा परिवार का दृष्टिकोण बदल जाता है। दिव्यांगों को समाज का सबसे अभावग्रस्त व्यक्ति माना जाता है। वास्तव में यह बहुत कम ही पाया गया है कि दिव्यांगों को समाज में स्वीकार किया गया हो।

अधिकांशतः वे इसी धारणा से सामाजिक रूप से बहिष्कृत होते रहें हैं कि वे बाकी सभी के लिए बोझ और अनुत्पादक हैं। परन्तु प्रत्येक दशा में वे समाज के अंग हैं तथा इनकी संख्या में भी प्रति दिन बढ़ोत्तरी हो रही है। इसलिए सरकार अथवा समाज के अन्य सक्षम व्यक्तियों द्वारा इनकी उपेक्षा करना असंभव हो जाता है। अध्ययनों में पाते है कि भारत में दिव्यांग व्यक्तियों की सामाजिक सुरक्षा का प्रारम्भ स्वतंत्र भारत में 80 के दशक में प्रारम्भ हुआ है। इनके प्रति सामाजिक अभिव्यक्ति एक तर्क का विषय है। दिव्यांगों के उत्थान और सामाजिक प्रत्यक्षीकरण एवं प्रगति के लिए राष्ट्रीय व राज्य सरकारों ने विभिन्न प्रशासनिक, विधायी और कार्यकारी संज्ञान लिये है। साथ ही, गैर सरकारी संगठनों ने भी इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है।

समाज में, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अवसरों की सामाजिक असमानताएँ उनके कल्याण, जीवन स्तर, जीवन शैली, प्रतिष्ठा और सम्मान की स्थितियों को प्रकट करती है। यह असमानता दिव्यांगों और सकलांगों के बीच के सामाजिक अन्तःसम्बन्धों को भी दर्शाती है। समाज दिव्यांग व्यक्तियों के साथ असमान अर्थात भेदभावपूर्ण व्यवहार करता रहा है। समाज द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों को उनकी सामाजिक समानता, जीवन अवसरों और सामाजिक सम्मान से दूर रखा जाता है। कहा जा सकता है कि समाज दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन आवश्यकताओं के बारे में कोई विचार नही करता है। अथवा समग्र विकास हेतु निम्नतर प्रयास करता है। दिव्यांगता के कारण समाज दिव्यांग व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा में शामिल होने से बाहर रखता है। जिससे उन्हें शिक्षा, रोजगार, आवास और अन्य अवसरों की प्राप्ति से दूर रखा जा सके। समाज के कुछ ऐसे मानक भी है जिसमें व्यक्तिगत उत्तरदायित्वों को प्राथमिकता दी जाती है। विशेषकर ऐसे सामाजिक रूप से वंचित विकलांग वर्ग जिन्हें, लिंग, वर्ग, जाति और धर्म के आधार पर वंचित किया गया है। समाज दिव्यांग व्यक्तियों की आवश्यकताओं को सामाजिक संगठन के लिए पर्याप्त रूप से आवश्यक नही मानता है।

सारणी–1

उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए बजटीय आवंटन

(करोड रूपये में)

वर्ष	बजट आवंटन	बजट आवंटन में वृद्धि प्रतिशत
2014–15	451.00	14.87
2015–16	596.00	32.15
2016–17	607.00	2
2017–18	883.00	45.47
2018–19	871.00	–1.36
बजट आवंटन में कुल वृद्धि प्रतिशत		**93.13**

स्त्रोत : दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, 2018

अध्ययन से ज्ञात होता है कि वर्ष 2014–15 से 2018–19 की अवधि के अन्तर्गत कुल बजटीय आवंटन में 93.13 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है। वर्ष 2018–19 राज्य सरकार द्वारा 871 करोड रूपये आवंटित किये गये। दिव्यांग कल्याण के लिए प्रति व्यक्ति बजटीय आवंटन के संदर्भ में यह राशि अल्प है। उत्तर प्रदेश में दिव्यांगों के कल्याण पर बजटीय आवंटन राज्य के कुल खर्च का एक प्रतिशत से भी कम है।

सारणी–2

उत्तरदाताओं की पारिवारिक निर्णयों में भागीदारी की स्थिति

संगठन का प्रकार	हाँ	नहीं	योग
सरकारी	61	39	100
	61.00	39.00	100.00
गैर सरकारी	55	45	100
	55.00	45.00	100.00
योग	**116**	**84**	**200**
	58.00	**42.00**	**100.00**

स्त्रोत : क्षेत्र सर्वेक्षण

अध्ययन से ज्ञात होता है कि 58 प्रतिशत उत्तरदाताओं का अपने परिवार के निर्णयों में भागीदारी है जबकि 42 प्रतिशत उत्तरदाता अपने परिवार द्वारा लिये गये निर्णयों में कोई सहभागिता नही निभाते हैं। सरकारी और गैर सरकारी संगठनों से सहायता प्राप्त उत्तरदाताओं की निर्णायक स्थितियों में कोई खास अन्तर नही है। सरकारी संगठन के सहायता प्राप्त उत्तरदाता 61 प्रतिशत पारिवारिक निर्णयों में भागीदार होते है जबकि गैर सरकारी संगठन के सहायता प्राप्त 55 प्रतिशत उत्तरदाता पारिवारिक निर्णयों में भागीदारी निभाते हैं। शेष क्रमशः 39 प्रतिशत और 45 प्रतिशत उत्तरदाताओं को अपने परिवार के निर्णयों में कोई सहभागिता नही होती है।

सारणी–3

उत्तरदाताओं की पारिवारिक/सामाजिक उत्सवों, त्योहारों आदि के कार्यों में भागीदारी की स्थिति

संगठन का प्रकार	हाँ	नहीं	योग
सरकारी	38	62	100
	38.00	62.00	100.00
गैर सरकारी	35	65	100
	35.00	65.00	100.00
योग	**73**	**127**	**200**
	36.50	**63.50**	**100.00**

स्त्रोत : क्षेत्र सर्वेक्षण

सारणी के विश्लेषण द्वारा यह तथ्य ज्ञात होता है कि 63.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा अपने पारिवारिक/सामाजिक उत्सवों, त्योहारों, क्रियाकलापों आदि के कार्यो में भागीदारी नही निभाई जाती है। जबकि 36.5 प्रतिशत उत्तरदाता ही अपने पारिवारिक/सामाजिक क्रियाकलापों में भागीदारी निभाते हैं। सारणी का विश्लेषण यह भी प्रदर्शित करता है कि सरकारी संगठन के लाभार्थी उत्तरदाताओं और गैर सरकारी संगठन के लाभार्थी उततरदाताओं की स्थितियाँ लगभग समान है। सरकारी संगठन के 38 प्रतिशत उत्तरदाता जिनकी पारिवारिक/सामाजिक उत्सवों, त्योहारों आदि में भागीदारी होती है जबकि 62 प्रतिशत उत्तरदाता जिनकी कोई भागीदारी नही होती है। इसी प्रकार गैर सरकारी संगठन के 35 प्रतिशत उत्तरदाता जिन्हें अपने पारिवारिक क्रिया कलापों में भागीदारी मिलती है और 65 प्रतिशत उत्तरदाता जिन्हें अपने पारिवारिक/सामाजिक कार्यों में कोई भागीदारी नही मिलती है। इस प्रकार परिवार के उत्सवों, त्योहारों जैसे सामान्य कार्यों में सहभागिता न कराना दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति पारिवारिक/सामाजिक भेदभाव के प्रतीक के रूप में परिलक्षित किया जा सकता है।

सारणी–4

उत्तरदाताओं के आय का स्त्रोत

संगठन का प्रकार	प्राइवेट नौकरी	सरकारी नौकरी	स्वरोजगार	दैनिक मजदूरी	किराना दुकान	अन्य	बेरोजगार	योग
सरकारी	1	4	11	3	4	7	70	100
	1.00	4.00	11.00	3.00	4.00	7.00	70.00	100.00
गैर सरकारी	4	0	15	3	6	0	72	100
	4.00	0	15.00	3.00	6.00	0	72.00	100.00
योग	**5**	**4**	**26**	**6**	**10**	**7**	**142**	**200**
	2.50	**2.00**	**13.00**	**3.00**	**5.00**	**3.50**	**71.00**	**100.00**

स्त्रोत : क्षेत्र सर्वेक्षण

सारणी के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि उत्तरदाताओं में सर्वाधिक बेरोजगार (71 प्रतिशत) लाभार्थी है। ऐसे लाभार्थी जो अपने जीवनयापन के लिए आत्मनिर्भर रहना चाहते है। उनमें स्वरोजगार परक 13 प्रतिशत, किराना दुकान चालक 5 प्रतिशत, दैनिक मजदूरी करने वाले 3 प्रतिशत, प्राइवेट नौकरी करने वाले 2.5 प्रतिशत और सरकारी नौकरी करने वाले उत्तरदाता 2 प्रतिशत हैं। जबकि अन्य कार्यों में संलग्न उत्तरदाताओं की संख्या 3.5 प्रतिशत है। व्यक्ति की आय का सम्बन्ध उसके आय के साधनों पर निर्भर करता है। यह आय उसके जीवनयापन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है जो विशेषतः दिव्यांग व्यक्तियों के सम्बन्धित है। अध्ययन द्वारा यह भी स्पष्ट होता है कि प्राइवेट नौकरी, स्वरोजगार, और किराना दुकान के क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों का योगदान सरकारी संगठनों की तुलना में काफी सफल रहा है। जबकि सरकारी नौकरी और अन्य रोजगार के साधनों में सरकारी संगठन अग्रणी रहे हैं।

सारणी–5

उत्तरदाताओं की अपने कार्य/व्यवसाय से संतुष्टि की स्थिति

संगठन का प्रकार	अत्यधिक संतुष्ट	संतुष्ट	असंतुष्ट	योग
सरकारी	8	16	6	30
	26.67	53.33	20.00	100.00
गैर सरकारी	5	21	2	28
	17.86	75.00	7.14	100.00
योग	**13**	**37**	**8**	**58**
	22.41	**63.80**	**13.79**	**100.00**

स्त्रोत : क्षेत्र सर्वेक्षण

सारणी के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि लगभग 86 प्रतिशत उत्तरदाता अपनें कार्यों/व्यवसायों से संतुष्ट है। जिनमें सर्वाधिक रूप में गैर सरकारी संगठनों के लगभग 93 प्रतिशत उत्तरदाता शामिल हैं। वहीं सरकारी संगठनों के उत्तरदाताओं में यह स्थिति 80 प्रतिशत है। सरकारी संगठनों के 20 प्रतिशत उत्तरदाता एवं गैर सरकारी संगठनों के लगभग 7 प्रतिशत उत्तरदाता अपने कार्यों/व्यवसायों से असंतुष्ट है।

निष्कर्षः

दिव्यांगों हेतु बाधारहित वातावरण का सृजन और सुगम पहुँच की सुविधा प्रदान करने

की दृष्टि से विभिन्न क्षेत्रों में प्रयास किये जा रहे हैं। समाज में दिव्यांग व्यक्तियों को अपमान, हीनता तथा असहज स्थितियों का सामना करना पड़ता है। जीवन के घटकों जैसे विवाह, रोजगार, सामाजिक सहभागिता आदि में उनकी स्थिति सोचनीय है। निम्न जाति के दिव्यांग व्यक्तियों कों भेदभावपूर्ण, उपेक्षापूर्ण और उदासीन जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि प्रत्येक व्यक्ति की पारिवारिक स्थितियाँ भिन्न हैं और इनके अन्तर्गत ही उन्हें सामाजिक प्रस्थितियाँ प्राप्त हैं। अधिकांश विकलांग व्यक्तियों की पारिवारिक और सामाजिक उत्सवों तथा समारोहों में भागीदारी है तथा पारिवारिक निर्णयों में भी उनकी राय ली जाती है तथा उनके कार्यों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। दिव्यांगों के प्रति हीन भावना जैसी सामाजिक व्याधि, जो कि एक सार्वभौमिक प्रघटना है, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों के प्रयास इस स्थिति को परिवर्तित करने में काफी सफल सिद्ध हुए हैं। गैर सरकारी संगठनों का क्षेत्रीय सम्पर्क बढने के कारण दिव्यांगों के जीवन से सम्बन्धित गतिशीलता, उपलब्धियों और इच्छाशक्ति के आयामों में सरकारी संगठनों की अपेक्षा गैर सरकारी संगठन अत्यधिक सफल रहें हैं। यद्यपि धन की कमी और कुछ क्षेत्रों में अपर्याप्त सामन्जस्य के कारण विकलांगों की गतिशीलता का स्तर धीमा रहा है। फिर भी, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों के सम्मिलित नीतिगत कार्यों ने इनके प्रत्यक्षीकरण और प्रगति में अहम् भूमिकाएँ निभायी हैं। जो भविष्य में भी कार्यकारी सिद्ध होंगी। परिणामस्वरूप अधिकांश दिव्यांग व्यक्ति सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर रहे हैं।

सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों के अपने–अपने प्रयासों के फलस्वरूप विकलांगों में अपने प्रति आकांक्षाओं में भी वृद्धि हुई है। भारत सरकार द्वारा पुनर्वास सहित वर्ष 1995 के विकलांगता अधिनियम के साथ कई उपाय किए गये थे परन्तु वांछित सकारात्मक परिणाम सामने नही आने के फलस्वरूप विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 को विकलांगों को समग्र रूप से मुख्यधारा में लाने हेतु पारित किया गया। जिसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी दिखाई देने लगे हैं। गैर सरकारी संगठन भी इसमें प्रमुख भूमिका निभाते दिखायी दिये हैं। इन उपायों के बावजूद, विकलांग लोगों में अभी भी शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यावसायिक मार्गदर्शन और रोजगार जैसे अवसरों की कमी है, इसके अलावा उनकी भावनात्मक और मनोसामाजिक आवश्यकताओं की उपेक्षा की जा रही है।

सार्वजनिक स्थानों पर दिव्यांगों के साथ हो रहे सामान्य व्यवहारों को देखा जा सकता है। इन सामाजिक परिवर्तन को सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों का परिणाम कह सकते हैं। उनके जमीनी स्तर के किये कार्यों ने दिव्यांगों और सामान्य व्यक्तियों के अन्तःक्रियात्मक सम्बन्धों मे भी सकारात्मक परिवर्तन किये हैं। केन्द्र और प्रदेश सरकार के सरकारी संगठन एवं गैर सरकारी संगठन विकलांग व्यक्तियों के सशक्तीकरण और पुनर्वास के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का संचालन कर रहीं हैं। इनके अलावा, गैर सरकारी संगठन, सरकारी संगठनों के समानान्तर अपने कार्यों और योजनाओं के माध्यमों से विकलांगों के उत्थान एवं कल्याण के लिए कदमताल करते हुए खड़े हैं।

सन्दर्भ

1. कर्ण, जी0एन0 (2001). डिस्एबिलिटि स्टडींज इन इण्डिया, ज्ञान पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली।
2. पाण्डेय, जे0एस0पी0 (2017). डिस्एबिलिटि एण्ड सोशल सिक्योरिटि, माउण्ट हिल पब्लिशिंग कम्पनी, दिल्ली।

3. लैंग, रेमण्ड (2000). द रोल ऑफ एन0जी0ओ0 इन द प्रोसेस ऑफ इमपावरमेंट एण्ड सोशल सोशल ट्रान्सफॉरमेशन ऑफ पिपुल विद डिस्एबिलिटि, एशिया पेशिफिक डिस्एबिलिटि रिहैबिलेशन जर्नल।
4. मेहरोत्रा, एन0 (2013). डिस्एबिलिटि जेण्डर एण्ड कास्टः मार्जीनलटी, एक्सक्लूशन एण्ड आपारच्यूनिटी इन इण्डियन इकोनॉमी, डब्लूडब्लूडब्लू.रिसर्चगेट.
नेट / पब्लिकेशन / 290052340–डिस्एबिलिटि–जेण्डर–एण्ड–कास्ट।
5. स्नाइडर, एम0 एल0 एण्ड आर0 क्लेक (1979). अवाइडेन्स ऑफ द हैडिकैप्डः एन एट्रीब्यूशनल एम्बीग्यूटी एनालिसीस, जर्नल ऑफ पर्सनालिटी एण्ड सोशल साइकोलॉजी, वाल्यूम 37, न012।
6. सुसमैन, जॉन (1994), डिस्एबिलिटि सिटिग्मा एण्ड डेविएन्स, सोशल सांइस एण्ड मेडिसिन, वाल्यूम 38, इश्यू 1, पेज 15–22।